भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3315**

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

**केरल में एनएच-66 पर टोल वसूली**

†3315. श्री के. सुधाकरन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-66 के नवनिर्मित थलास्सेरी माहे बाईपास और चेंगला नीलेश्वरम खंडों पर धंसती सर्विस सड़कों और मुख्य कैरिजवे में दरारों सहित संरचनात्मक विफलताओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो जब सड़क बुनियादी ढांचा निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कोल्लास्सेरी और अरिकडी जैसे प्लाजा पर टोल वसूली जारी रखने की अनुमति देने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार अगस्त 2025 के केरल उच्च न्यायालय के उस निर्णय से अवगत है जिसमें कहा गया है कि टोल की वसूली मोटर योग्य और सुरक्षित सड़कों के प्रावधान पर निर्भर है;

(घ) क्या यह सत्यापित करने के लिए कोई संपरीक्षा की गई है कि क्या ये खंड सेवा-आधारित टोलिंग के "आदान-प्रदान" के सिद्धांत को पूरा करते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इन प्रभावित खंडों पर टोल शुल्क को तब तक तत्काल निलंबित करने पर विचार करेगी जब तक कि विवर्जित ठेकेदार आवश्यक सुधार कार्य पूरा नहीं कर लेते और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) थलास्सेरी-माहे बाईपास (18.6 किमी) के संबंध में, मार्च 2024 में खंड के पूरा होने और यातायात के लिए खुलने के बाद, कोई संरचनात्मक विफलता नहीं देखी गई है।

चेंगला-नीलेश्वरम खंड के संबंध में, परियोजना निर्माणाधीन है और लगभग 86% प्रगति हासिल कर ली गई है। निर्माण के दौरान, घने बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) परत पर देखी गई दरारों को रियायतग्राही द्वारा अपने खर्चे पर सुधारा गया था। इसके अतिरिक्त, निकास नली (ड्रेन) के लगातार न बने होने के कारण सर्विस रोड के एक हिस्से में एक जगह पर गंदगी जमा हो गई, और उसमें भी रियायतग्राही द्वारा अपने खर्चे पर सुधार किया गया।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण भारत सरकार की लागू नीति और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विवरण इस प्रकार है:

(i) अरिकडी शुल्क प्लाजा: इसे लगभग 39 किलोमीटर की लंबाई वाले तलप्पाडी से चेंगला तक के पूर्ण खंड के लिए एक अस्थायी शुल्क प्लाजा के रूप में स्थापित किया गया था। दिनांक 04.02.2026 से अरिकडी शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण को निलंबित कर दिया गया है।

(ii) तिरुवंगड शुल्क प्लाजा: यह थलास्सेरी-माहे बाईपास के पूर्ण खंड के लिए स्थापित किया गया है। परियोजना खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है और दिनांक 11.03.2024 से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रगति पर है।

(ग) और (घ) अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और पूर्ण किए गए खंड को यातायात के लिए खोलने से पहले, गुणवत्ता परीक्षण और सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य हैं। ये रियायत करार और समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर और पर्यवेक्षण परामर्शदाता के माध्यम से किए जाते हैं।

(ङ) एनएच-66 के चल रहे निर्माण खंडों पर देखे गए दोष, जहां कार्य अभी भी प्रगति पर हैं, जहां टोलिंग शुरू नहीं हुई है, अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और टोलिंग शुरू करने से पहले रियायतग्राही की लागत पर सुधारा जाता है। एनएच-66 के खंडों पर देखे गए दोष वर्तमान में टोलिंग के तहत संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार तुरंत ठीक किए जाते हैं।

*****